

214

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या-वन भूमि-10/2024-2508/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-21/05/24

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2023 दिनांक-01.12.2023 से प्रभावी किया गया है।

उक्त संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा-4 (2)(a) में निम्नवत् प्रावधान किया गया है:-

The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely :-

(a) Such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case.

उक्त प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा संधारित सार्वजनिक सड़क और रेल मार्ग के किनारे पर अवस्थित सुविधाओं और पर्यावासी तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रति मामला 0.1 हे० तक वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु शक्ति प्रत्यायोजन तथा शर्तों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

1. सरकार द्वारा संधारित सार्वजनिक सड़क और रेल मार्ग के किनारे 0.1 हे० तक वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन:

(क) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2023 के अलोक में सड़क और रेल मार्ग के किनारे 0.1 हे० वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को एवं परिवेश पोर्टल पर समर्पित किया जायेगा।

(ख) नोडल पदाधिकारी प्रस्ताव को संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी जांचोपरांत प्रपत्र-II में प्रविष्टि कर प्रस्ताव सीधे नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को प्रस्ताव प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर भेजेंगे। नोडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्रपत्र-II में प्रस्ताव प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

2. वन भूमि अपयोजन के उपर्युक्त प्रकार के मामलों में सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) एवं अंतिम स्वीकृति (Stage-II) के साथ अधिरोपित की जाने वाली शर्तें:

क. सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) हेतु शर्तें:-

- i. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- ii. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों का दस गुणा अथवा 100 वृक्ष, जो अधिक हो, के रैखिक वृक्षारोपण हेतु राज्य में वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर पर राशि (राज्य

23
में अद्यतन प्रचलित मजदूरी दर एवं विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु अनुमोदित दर पर दस वार्षिक सम्पोषण राशि के साथ प्राक्कलित) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन ई-चलान द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित कैम्पा लेखा में जमा कराया जायेगा।

- iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अद्यतन निर्धारित Net Present Value (NPV) की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन ई-चलान द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित कैम्पा लेखा में जमा कराया जायेगा।
- iv. NPV के दर में वृद्धि होने पर अतिरिक्त/अंतर की राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को बचनबद्धता देनी होगी।
- v. परियोजना निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी प्रकार की राशि को परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन ई-चलान, द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित कैम्पा लेखा में जमा कराया जायेगा e-Portal (<https://parivesh.nic.in>)
- vi. विहित प्रपत्र में Forest Rights Act, 2006 (FRA, 2006) के अंतर्गत जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- vii. परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित वन भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता द्वारा उनके अपने व्यय पर कराना होगा।
- viii. परियोजना निर्माण स्थल पर एक हिस्सा विश्राम क्षेत्र परिसर रखने संबंधित शर्त अधिरोपित किया जायेगा, जिसमें अन्य सुविधाएं यथा विश्राम क्षेत्र, पार्किंग, शौचालय, रेस्तरां आदि हो।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना स्थल के बाउण्ड्री के 1.5 मीटर छोड़कर चारों तरफ 1.00 मीटर से 1.5 मीटर के दूरी पर हल्के Crown के पौधों का रोपण किया जाना होगा।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास उपलब्ध भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना होगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना निर्माण गतिविधि में लगे मजदूर एवं कर्मचारी आसपास के वन, वनस्पति एवं वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुँचायें।

- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी निर्माण सामग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के Layout योजना में बदलाव नहीं किया जायेगा।
- xiv. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- xv. वन भूमि उपयोग की स्वीकृति प्रस्तावित सुविधा की अवधि तक के लिये होगा। अर्थात् यदि संबंधित सुविधा (पेट्रोल पम्प) हो जाती है तो अपयोजित वन भूमि पूर्व की स्थिति में आ जायेगी।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित वन भूमि किसी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार, विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटित/हस्तांतरित/अभ्यर्पित (Assignment) नहीं किया जा सकेगा।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में यथा आवश्यक वृक्षों का पातन/पुनर्स्थापन स्थानीय वन अधिकारी की देख-रेख वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुरूप किया जायेगा।
- xviii. वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- xix. वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा।
- xx. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- xxi. यदि पर्यावरण, वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- xxii. सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रयोक्ता के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-5-282017-FC दिनांक-28.03.2019 के आलोक में एवं अन्य सुसंगत कानून/निर्देश/आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।

211
xxiii. सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा e-Portal (<https://parivesh.nic.in>) अपलोड किया जायेगा।

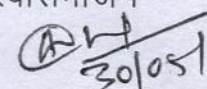
ख. अंतिम स्वीकृति (Stage-II) हेतु शर्तें:—

- i. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- ii. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों का दस गुणा अथवा 100 वृक्ष, जो अधिक हो, के रैखिक वृक्षारोपण हेतु राज्य में वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर पर राशि (राज्य में अद्यतन प्रचलित मजदूरी दर एवं विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु अनुमोदित दर पर दस वार्षिक सम्पोषण राशि के साथ प्राक्कलित) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन ई-चलान द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित कैम्पा लेखा में जमा कराया जायेगा।
- iii. विहित प्रपत्र में Forest Rights Act, 2006 (FRA, 2006) के अंतर्गत जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित वन भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता द्वारा उनके अपने व्यय पर कराना होगा।
- v. परियोजना निर्माण स्थल पर एक हिस्सा विश्राम क्षेत्र परिसर रखने संबंधित शर्त अधिरोपित किया जायेगा, जिसमें अन्य सुविधाएं यथा विश्राम क्षेत्र, पार्किंग, शौचालय, रेस्तरां आदि हों।
- vi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना स्थल के बाउन्ड्री के 1.5 मीटर छोड़कर चारों तरफ 1.00 मीटर से 1.5 मीटर के दूरी पर हल्के Crown के पौधों का रोपण किया जाना होगा।
- vii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास उपलब्ध भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाना होगा।
- viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना निर्माण गतिविधि में लगे मजदूर एवं कर्मचारी आसपास के वन, वनस्पति एवं वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुँचायें।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी निर्माण सामग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के Layout योजना में बदलाव नहीं किया जायेगा।
- xi. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- xii. वन भूमि उपयोग की स्वीकृति प्रस्तावित परियोजना अवधि तक के लिये होगी अर्थात् यदि संबंधित सुविधा (पेट्रोल पम्प) बंद हो जाती है, तो आयोजित वन भूमि पूर्व की स्थिति में आ जायेगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित वन भूमि किसी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार, विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटित/हस्तांतरित/अभ्यर्पित (Assignment) नहीं किया जा सकेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में यथा आवश्यक वृक्षों का पातन/पुनर्स्थापन स्थानीय वन अधिकारी की देख-रेख वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुरूप किया जायेगा।
- xv. वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- xvi. वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- xviii. यदि पर्यावरण, वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होंगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- xix. परियोजना निर्माण के क्रम में अधिरोपित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रयोक्ता के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-42/2017-FC दिनांक-29.01.2018 के आलोक में एवं अन्य सुसंगत कानून/निदेश/आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

 24/05/24

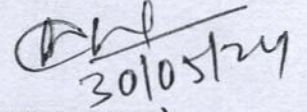
(अमय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

209

ज्ञापांक: वन भूमि-10/2024.....240(59)...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-.....31/05/24.....

प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बी०एस०एम०सी०आई०एल०/बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

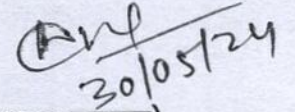

30/05/24

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-10/2024.....240(59)...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-.....31/05/24.....

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

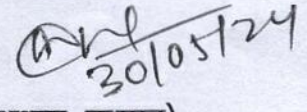

30/05/24

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-10/2024.....240(59)...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-.....31/05/24.....

प्रतिलिपि-मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार/सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

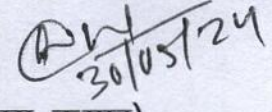

30/05/24

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-10/2024.....240(59)...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-.....31/05/24.....

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


30/05/24

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव